"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, कॉलम (3) में वर्णित सीमा तक दिनांक 31-01-2011 के प्रभाव से कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	कर से छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-दो एवं तीन में वर्णित माल	सम्पूर्ण कर	जब माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत किसी ऐसे व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 38 (1) (चार) में वर्णित प्रावधान के लिए किया जावे, जो विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत गठित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थित हो अथवा ऐसे विकासकर्ता द्वारा जिसे विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (10) के तहत अनुमति पत्र प्राप्त है.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-दो एवं तीन में वर्णित माल	सम्पूर्ण कर	जब माल का प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत व्यवसायी द्वारा किया जाये और उसका विक्रय विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत गठित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में स्थित व्यवसायी अथवा ऐसे विकासकर्ता, जिसे विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (10) के तहत अनुमति पत्र प्राप्त है, को संलग्न घोषणा पत्र के प्रारूप पर किया जावे.

घोषणा पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... टिन क्रमांक .... जिसका व्यवसाय स्थल .... पर स्थित है, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे वर्णित माल की खरीदी मे. .... छत्तीसगढ़ मूल्य **संवर्धित कर अधिनियम,** 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण-पत्र क्रमांक .... से मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर **अधिनियम, 2005 की** धारा 38 (1) (चार) में वर्णित प्रावधान के लिए/विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के विकास, संधारण एवं प्रचलन के लिए की गई **है. यह** कि **मेरा व्यवसाय** विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र .... में स्थित है/मैं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र .... **का विकासकर्ता हूं.**

क्रय आदेश/बिल/बीजक/केशमेमो/चालान की विशिष्टियां क्रमांक एवं दिनांक	माल का विवरण	मात्रा	मूल्य रु.	पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	

कुल कीमत (अंकों में) .... (शब्दों में) .... रुपये मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

....
हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2011/वाक/पांच (40), दिनांक 12-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 12th July 2011

NOTIFICATION

No. F-10/28/2011/CT/V(40).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), (hereinafter referred to as the Entry Tax Act), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of entry tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule with effect from 31-01-2011 :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Goods specified in Schedule-II and III appended to the Entry Tax Act.	Whole of entry tax	When entered into a local area by a dealer situated in Special Economic Zone (SEZ) registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 as per Special Economic Zone Act, 2005, for the purpose mentioned in section 38 (1) (iv) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and/or a developer who holds letter of approval under sub-section (10) of section 3 of Special Economic Zone Act, 2005.
2.	Goods specified in Schedule-II and III appended to the Entry Tax Act.	Whole of entry tax	When entered in to a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 and sold to a dealer situated in Special Economic Zone (SEZ) constituted as per Special Economic Zone Act, 2005, and/or a developer who holds letter of approval under sub-section (10) of section 3 of Special Economic Zone Act, 2005 against a declaration in the appended Form.

DECLARATION

(Under CTD Notification No. .... dated ....)

I .... (Name of the Dealer) TIN No. .... whose place of business is located within .... SEZ .... hereby declare that the goods, particulars of which are given below, have purchased by me from Shri .... (Name of the dealer) holding registration certification No. .... Under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for consumption and use by me for the purpose mentioned in section 38 (1) (iv) of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005/for development, operation and maintenance of SEZ.

Particulars of purchase order/bill/invoice/ cash memo/challan No. and Date	Description of goods purchased	Quantity	Value Rs.	P.
(1)	(2)	(3)	(4)	

Total Value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place : ....

Date : ....

....
Signature

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.